शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 891 /सत्तर-3-2021-08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनॉक 23 मार्च, 2021**

विषय:-कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2021 तक संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-501/सत्तर-3-2021-08(20)/2020, दिनांक 12 फरवरी, 2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी दिवसों में मनाए जाने वाले होली एवं अन्य त्योहार तथा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2021 तक (होली हेतु निर्धारित अवकाश को छोड़ते हुए) निम्नवत संचालित किए जायेंगे :-

1. इस अवधि में निर्धारित कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जायेंगे।

2. जिन संस्थानों में परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें गतिमान हैं, वहां पर निर्धारित परीक्षायें/प्रयोगात्मक परीक्षायें यथावत संचालित की जायेंगी। समय-समय पर निर्गत कोविड-19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रकिया) मास्क का अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाये रखना, परिसर को सेनेटाइजेशन एवं अन्य दिशा-निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

   (1) कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जायेंगे।

   (2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।

   (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

   (4) परिसर में अन्दर-बाहर आने-जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।

Scanned by CamScanner

(5) बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

(6) संस्थान मे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।

(7) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(8) शिक्षकों/छात्रों/कार्मिकों के लिए रुमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।

(9) सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क,हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(10) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।

(11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र–छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।

(13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।

3 उक्त परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या–247/सत्तर–1–2021–16(11)/2014 टी.सी.–II, दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेण्डर में प्रयोगात्मक वार्षिक परीक्षा की निर्धारित अवधि में संशोधन किया जाता है। अब यह परीक्षायें माह अप्रैल, 2021 के स्थान माह मई, 2021 में आयोजित की जायेंगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 891 (1)/सत्तर–3–2021, तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या:डिग्री विकास/ 1827–29 / 2020-21 दिनांक- 23/03/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दिनांक- 23 मार्च, 2021 का तत्काल कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

डॉ0(हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ0सं0 / क्षे0का0आ0 / 5742 / 2020-21 दिनांक:- 23.03.2021

प्रतिलिपि:- प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त राजकीय / अशासकीय अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, आगरा-अलीगढ़ परिक्षेत्र।

महोदय,

उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित दिए गए निर्देश के क्रम में कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
आगरा-अलीगढ़ परिक्षेत्र

Scanned by CamScanner